अष्टादश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–05 शुक्रवार, दिनांक–05 दिसम्बर, 2025 ई०।

मानतीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:06 बजे अपराह्न तक।

[1] समितियों का गठन :–

(i) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें।"

यह प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

(ii) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237 (1), 240 (1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें।"

यह प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(*ii*) माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा–45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(*iii*) माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री दीपक प्रकाश द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146(2) के आलोक में "बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025" की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[3] <u>याचिकाओं का उपस्थापन</u> :–

सभा सचिव द्वारा कुल स्वीकृत 6 (छः) याचिकाओं का उपस्थापन सदन में किया गया।

[4] <u>वित्तीय कार्य</u> :–

वित्तीय वर्ष 2025–2026 की द्वितीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग (ग्रामीण विकास विभाग) पर वाद–विवाद एवं मतदानः–

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

i. श्री मनोहर प्रसाद सिंह
ii. श्री अखतरूल ईमान
iii. श्री संदीप सौरभ
iv. श्री अजय कुमार
v. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता
vi. श्री सतीश कुमार सिंह यादव

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगें बारी–बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुई।

[5] <u>विधायी कार्य</u> :–

<u>राजकीय वित्तीय विधेयक</u>

<u>बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025</u>

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी–बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

तदुपरांत बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 सदन से स्वीकृत हुआ।

[6] <u>समापन भाषण</u> :

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथम सत्र के समापन के अवसर पर सदन को संबोधित किया गया। (यथा संलग्न)

तदुपरान्त सभा की बैठक बिहार–राज्य गीत के साथ अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–05.12.2025

डॉ० ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।